



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 24, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. हिमाचल प्रदेश में कुटकी की सतत खेती.....	2
2. मानव तस्करी पर रोक लगाने हेतु ओडिशा की राज्य नीति	4
3. आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य-सहनशीलता नीति एवं समुद्री सुरक्षा.....	5
4. वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (Virtual Digital Assets) पर संसदीय समिति की सिफारिश	7
5. बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा निषेधात्मक आदेशों एवं पुलिस कार्रवाई की निंदा	8
6. राजस्थान में सामुदायिक संपर्क समूहों (CLGs) में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने संबंधी संशोधन ..	10
7. प्रोजेक्ट कुशा दीर्घ दूरी सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल (LR-SAM) प्रणाली का DRDO द्वारा उड़ान परीक्षण	11
8. विरोध प्रदर्शनों के दौरान विधिसम्मत प्रक्रिया (Due Process) एवं पुलिस द्वारा बल प्रयोग	13
9. हरियाली का उत्सव और उत्तराखंड में वन भूमि विचलन: 'ब्लैक हरेला' आंदोलन	14
10. अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौता और पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन	15
11. पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन का नौसेना में शामिल होना एवं तटीय सुरक्षा	17
12. फास्ट-ट्रैक न्यायालय: स्थापना, प्रदर्शन एवं संवैधानिक दायरा	18



1. हिमाचल प्रदेश में कुटकी की सतत खेती

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **संरक्षण की महत्वपूर्ण उपलब्धि:** हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किसानों ने कुटकी (*Picrorhiza kurroa*) की सतत खेती की एक नई पद्धति विकसित की है, जिसमें जंगलों से विनाशकारी तरीके से पौधों को उखाड़ने के स्थान पर वैज्ञानिक खेती अपनाई गई है।
- **नवाचारपूर्ण कटाई विधि:** पूरे पौधे को उखाड़ने के बजाय, जिससे पौधा नष्ट हो जाता है, किसान केवल पार्श्व स्टोलॉन (Side Stolons) की कटाई करते हैं और मातृ पौधे को सुरक्षित छोड़ देते हैं, जिससे वह बार-बार बहुवर्षीय उत्पादन देता रहता है।

- **अनुसंधान का समर्थन:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत हिमालयन रिसर्च ग्रुप (HRG) ने इस वैकल्पिक तकनीक को विकसित करने में एक दशक से अधिक समय लगाया। वर्तमान में मंडी जिले के लगभग 180 किसान इस तकनीक को अपना चुके हैं।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** यह पहल संकटग्रस्त प्रजाति की निजी भूमि पर सबसे बड़े खेती समूह के रूप में विकसित हुई है, जिससे पर्वतीय ग्रामीण समुदायों को आय का एक विश्वसनीय अतिरिक्त स्रोत प्राप्त हुआ है।
- **वैश्विक व्यापार के अनुरूप उत्पादन:** सतत उत्पादन पद्धति अपनाने से किसान नियमित माध्यमों से सूखी औषधीय जड़ी-बूटियों का वैध रूप से व्यापार कर सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित होता है तथा उचित बाजार मूल्य प्राप्त होता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **कुटकी (*Picrorhiza kurroa*):** हिमालय के 2,700–4,500 मीटर ऊँचाई वाले अल्पाइन एवं उप-अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक उच्च मूल्य की बहुवर्षीय औषधीय वनस्पति, जिसका उपयोग आयुर्वेद में विशेष रूप से यकृत (लीवर) की सुरक्षा तथा पाचन संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है।
- **स्टोलॉन (Stolon):** भूमि की सतह पर क्षैतिज रूप से फैलने वाली शाखा या रेंगने वाला तना, जिसके गांठों (Nodes) से नई जड़ें और नए पौधे विकसित होते हैं। यह मातृ पौधे को नष्ट किए बिना वनस्पतिक (Vegetative) प्रजनन को संभव बनाता है।



कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- **IUCN रेड लिस्ट स्थिति:** अत्यधिक दोहन, विनाशकारी जंगली संग्रहण, आवास विनाश तथा सीमित भौगोलिक वितरण के कारण कुटकी को "संकटग्रस्त (Endangered)" श्रेणी में रखा गया है।
- **CITES सूचीकरण:** इसे वन्य जीव एवं वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय (CITES) के परिशिष्ट-II (Appendix II) में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार परमिट प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है ताकि इसकी प्रजातीय उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- **संवैधानिक प्रावधान:** यह पहल अनुच्छेद 48A के अनुरूप है, जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण का निर्देश देता है। साथ ही अनुच्छेद 51A(ग) नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण का दायित्व निर्धारित करता है।

निष्कर्ष

कुटकी की जंगली उखाड़ाई से वैज्ञानिक स्टोलॉन-आधारित खेती की ओर परिवर्तन जैव विविधता संरक्षण एवं ग्रामीण आर्थिक विकास के बीच संतुलित सह-अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता को सुरक्षित रखते हुए पर्वतीय समुदायों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित करने हेतु ऐसे स्थान-विशिष्ट कृषि हस्तक्षेपों का व्यापक विस्तार आवश्यक है।

UPSC में प्रासंगिकता

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III के अंतर्गत संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) तथा जैव विविधता प्रबंधन से संबंधित है। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में वनस्पति संरक्षण की स्थिति, CITES के परिशिष्टों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सतत विकास संबंधी प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2. मानव तस्करी पर रोक लगाने हेतु ओडिशा की राज्य नीति

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- नई राज्य नीति की पहल:** ओडिशा सरकार ने मानव तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 'नूतन सकाल (Nutana Sakala – New Dawn)' नामक नई राज्य नीति का प्रस्ताव रखा है। यह नीति सामुदायिक स्तर पर रोकथाम से लेकर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने तक व्यापक उपायों को शामिल करती है।
- प्रशासनिक तैयारी:** इस नीति का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है तथा इसे पुलिस महानिदेशक (DGP) एवं अपराध शाखा (Crime Branch) सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विचारार्थ भेजा गया है।
- गंभीर सांख्यिकीय स्थिति:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, ओडिशा में मानव तस्करी के पीड़ितों की संख्या 2021 में 1,475, वर्ष 2022 में 1,120, वर्ष 2023 में 1,305 तथा वर्ष 2024 में 1,039 रही, जो इस समस्या की निरंतर गंभीरता को दर्शाती है।
- न्यायिक एवं दोषसिद्धि संबंधी कमियाँ:** बड़ी संख्या में पीड़ितों की पहचान तथा तस्करों की गिरफ्तारी के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया में कई कमियाँ बनी हुई हैं। कुछ मूल्यांकन अवधियों में दोषसिद्धि (Conviction) शून्य रही तथा आरोप-पत्र (Chargesheet) दाखिल करने की दर भी अपेक्षाकृत कम रही।
- श्रेष्ठ प्रथाओं का समावेशन:** प्रस्तावित नीति में भारत के अन्य राज्यों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल रोकथाम, संरक्षण एवं अभियोजन (Prevention, Protection and Prosecution) के मॉडलों को अपनाया गया है।
- संपत्ति जब्ती की रणनीति:** इस नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानव तस्करी से जुड़े आपराधिक गिरोहों की वित्तीय संरचना को कमजोर करने हेतु उनकी संपत्तियों को कानूनी रूप से जब्त करना है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- मानव तस्करी (Human Trafficking):** किसी व्यक्ति की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय देना अथवा प्राप्त करना, बल प्रयोग, धमकी, अपहरण, धोखाधड़ी, छल, शक्ति के दुरुपयोग या अन्य प्रकार के दबाव के माध्यम से शोषण के उद्देश्य से किया जाना मानव तस्करी कहलाता है।
- नूतन सकाल (Nutana Sakala):** ओडिशा सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य नीति, जिसका उद्देश्य बहु-क्षेत्रीय समन्वय, सामुदायिक सतर्कता तथा कठोर संपत्ति जब्ती के माध्यम से मानव तस्करी के नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से समाप्त करना है।

कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- **संवैधानिक संरक्षण:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी (बेगार) पर प्रतिबंध लगाता है तथा इन्हें दंडनीय अपराध घोषित करता है। वहीं अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों अथवा खानों में नियोजित करने पर रोक लगाता है।
- **विधिक प्रावधान:** भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370 एवं 370A तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) के समकक्ष प्रावधान मानव तस्करी, गंभीर (Aggravated) तस्करी तथा तस्करी के शिकार व्यक्तियों के शोषण को व्यापक रूप से अपराध घोषित करते हैं।
- **विशेष अधिनियम:** अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम [Immoral Traffic (Prevention) Act – ITPA] तथा बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) वाणिज्यिक यौन शोषण एवं बाल तस्करी से संबंधित अपराधों के अभियोजन हेतु सुदृढ़ कानूनी आधार प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

'नूतन सकाल' नीति का प्रस्ताव ओडिशा में मानव तस्करी से निपटने की वर्तमान व्यवस्था में मौजूद संरचनात्मक कमियों को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल है। इसकी प्रभावी सफलता के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय, सशक्त जांच एवं समयबद्ध आरोप-पत्र, तथा समुदाय आधारित पुनर्वास तंत्र का विकास आवश्यक होगा, जिससे आपराधिक गिरोहों का स्थायी रूप से उन्मूलन किया जा सके।

UPSC में प्रासंगिकता

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (समाज के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ एवं उनके संरक्षण के तंत्र) तथा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में राज्य एवं गैर-राज्य कारकों की भूमिका) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3. आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य-सहनशीलता नीति एवं समुद्री सुरक्षा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **शून्य-सहनशीलता का सिद्धांत:** विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN Regional Forum - ARF) मंत्रिस्तरीय बैठक में आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य-सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि के गंभीर एवं प्रत्यक्ष परिणाम होंगे।
- **आतंकी वित्तीय नेटवर्क पर प्रहार:** अपने संबोधन में उन्होंने वैश्विक आतंकवादी संगठनों को संचालित करने वाले वित्तीय तंत्र एवं धन उपलब्ध कराने वाले स्रोतों को बाधित एवं समाप्त करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।
- **बहुपक्षीय आतंकवाद-रोधी नेतृत्व:** भारत ने ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) के अंतर्गत आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह (Experts' Working Group) का मलेशिया के साथ सह-अध्यक्ष (Co-chair) होने के नाते अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के संकलन एवं साझाकरण में अपनी सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया।

- **समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness):** भारत की सुरक्षा पहलों, जैसे इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर (Information Fusion Centre - IFC) तथा इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) ढाँचे को समुद्री डकैती, तस्करी तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
- **नौवहन की स्वतंत्रता:** संघर्ष क्षेत्रों में वाणिज्यिक जहाजों एवं नागरिक अवसंरचना पर बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने वैश्विक समुद्री मार्गों पर सुरक्षित, निर्बाध व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया।
- **दक्षिण चीन सागर पर भारत का दृष्टिकोण:** भारत ने दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता (Code of Conduct - CoC) को प्रभावी, सार्थक एवं विधिक रूप से बाध्यकारी बनाए जाने का समर्थन किया तथा यह भी स्पष्ट किया कि यह 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के पूर्ण अनुरूप होना चाहिए।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **आतंकवाद के प्रति शून्य-सहनशीलता (Zero Tolerance for Terrorism):** ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जिसके अंतर्गत आतंकवाद के किसी भी रूप को पूर्णतः अस्वीकार किया जाता है, आतंकियों एवं उनके राज्य-प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता तथा प्रत्येक आतंकी कृत्य के विरुद्ध कठोर एवं निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
- **समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA):** वैश्विक समुद्री क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक ऐसी गतिविधि की प्रभावी जानकारी एवं समझ, जो सुरक्षा, संरक्षा, अर्थव्यवस्था अथवा पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हो। यह खुफिया सूचनाओं के समेकन तथा सूचना साझाकरण के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- **UNCLOS, 1982:** संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea) महासागरों के उपयोग से संबंधित देशों के अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित करता है तथा समुद्री व्यापार, पर्यावरण संरक्षण एवं समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी दायित्व:** ये वैश्विक आतंकवाद-रोधी अभिसमयों, आतंकवादी वित्तपोषण पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों तथा ADMM-Plus जैसे बहुपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग ढाँचों पर आधारित हैं।

निष्कर्ष

आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) में भारत की स्पष्ट एवं दृढ़ कूटनीतिक अभिव्यक्ति सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध उसकी अडिग सुरक्षा नीति को पुनः स्थापित करती है। साथ ही, भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। असममित सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने तथा वैश्विक व्यापार मार्गों को सुरक्षित एवं खुला बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक खुफिया सूचना-साझाकरण तंत्र का संस्थागत सुदृढीकरण अत्यंत आवश्यक है।

UPSC में प्रासंगिकता

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (भारत से संबंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह तथा समझौते) तथा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, बाह्य राज्य एवं गैर-राज्य कारकों की भूमिका, सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (Virtual Digital Assets) पर संसदीय समिति की सिफारिश

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **नियामकीय रिक्तता की पहचान:** वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (VDAs) जैसे क्रिप्टोकॉरेंसी के लिए प्रतिभूति बाजार संहिता (Securities Market Code) के अंतर्गत व्यापक समीक्षा तथा एक सुदृढ़ नियामकीय ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- **अंतरिम स्व-नियमन व्यवस्था:** व्यापक कानून लागू होने तक समिति ने मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठनों (Self-Regulatory Organizations - SROs) के माध्यम से, निर्धारित नियामकीय निगरानी के अंतर्गत एक अंतरिम व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है।
- **खुदरा निवेशकों की व्यापक भागीदारी:** ब्लॉकचेन विश्लेषण संस्था Chainalysis के आँकड़ों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 12 करोड़ भारतीय देश के वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
- **निवेशक संरक्षण एवं जोखिम न्यूनीकरण:** समिति ने चेतावनी दी कि वर्तमान नियामकीय अस्पष्टता तथा स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के अभाव में निवेशक धोखाधड़ी, बाजार में हेरफेर (Market Manipulation), भ्रामक प्रस्तुतीकरण (Misrepresentation) तथा नियामकीय मध्यस्थता (Regulatory Arbitrage) जैसे जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- **वर्तमान कराधान व्यवस्था:** यद्यपि इस क्षेत्र के लिए स्पष्ट नागरिक प्रतिभूति कानून उपलब्ध नहीं है, फिर भी वर्तमान में यह क्षेत्र धन शोधन निरोध (Anti-Money Laundering) अनुपालन तथा कराधान संबंधी उद्देश्यों तक सीमित नियामकीय निगरानी के अंतर्गत आता है।
- **सीमा-पार समन्वय की आवश्यकता:** समिति ने बल दिया कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए किसी भी प्रभावी घरेलू नियामकीय ढाँचे के निर्माण हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा विभिन्न घरेलू एजेंसियों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक होगा।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियाँ (Virtual Digital Assets - VDAs):** क्रिप्टोग्राफिक तकनीक के माध्यम से निर्मित मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व, जो विनिमय के माध्यम, लेखा इकाई अथवा मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। इनमें भारतीय वैध मुद्रा (Legal Tender) तथा विदेशी मुद्राएँ शामिल नहीं होतीं।
- **स्व-नियामक संगठन (Self-Regulatory Organizations - SROs):** गैर-सरकारी संगठन जिन्हें किसी उद्योग के भीतर नियम, मानक एवं आचार संहिता निर्धारित करने, लागू करने तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार दिया जाता है, ताकि बाजार अनुशासन एवं नैतिक आचरण बनाए रखा जा सके।

कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- **विधायी अधिकारिता:** भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार मुद्रा, सिक्का, वैध मुद्रा, विदेशी विनिमय तथा पूंजी बाजार का विनियमन संघ सूची (सूची-I) के अंतर्गत आता है। अतः इन विषयों पर कानून बनाने का विशेषाधिकार संसद को प्राप्त है।
- **वैधानिक अनुपालन:** वर्तमान नियामकीय व्यवस्था मुख्यतः धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act - PMLA) तथा आयकर अधिनियम में किए गए संशोधनों पर आधारित है, जिनके अंतर्गत VDA लेन-देन पर स्रोत पर कर कटौती (Tax Deducted at Source - TDS) अनिवार्य की गई है।

निष्कर्ष

संसदीय समिति की यह सिफारिश वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों से संबंधित वर्तमान नियामकीय अस्पष्टता को समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने वाला नियामकीय ढाँचा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा बाजार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

UPSC में प्रासंगिकता

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधनों का संकलन, आर्थिक विकास, साइबर नेटवर्क के माध्यम से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ तथा वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5. बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा निषेधात्मक आदेशों एवं पुलिस कार्रवाई की निंदा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **विधिक समुदाय की आलोचना:** बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले 140 से अधिक अधिवक्ताओं, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हैं, ने सार्वजनिक आवागमन एवं सभाओं पर लगाए गए निषेधात्मक आदेशों की कड़ी आलोचना करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया।
- **वैधानिक सीमा से बचने का आरोप:** अधिवक्ताओं ने कहा कि 7 जुलाई से 21 जुलाई तथा 23 जुलाई से 6 अगस्त तक जारी लगातार निषेधात्मक आदेशों के बीच केवल 24 घंटे का अंतराल रखा गया, जो राज्य सरकार

की स्वीकृति आवश्यक होने वाली 15 दिनों की वैधानिक सीमा से बचने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है।

- **आदेश वापस लेने की मांग:** अधिवक्ताओं ने मुंबई पुलिस आयुक्त से तत्काल इन प्रतिबंधों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि पर्याप्त औचित्य एवं जवाबदेही के बिना ये आदेश नागरिकों के शांतिपूर्ण एवं वैध विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को सीमित करते हैं।
- **सामूहिक हिरासत की आलोचना:** प्रस्ताव में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के अंतर्गत की गई बड़ी संख्या में हिरासत एवं गिरफ्तारियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई तथा कहा गया कि लगाए गए प्रतिबंधों में न्यूनतम आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय (Least Restrictive Measures) अपनाने का पर्याप्त आधार प्रदर्शित नहीं किया गया।
- **पुलिस बल प्रयोग पर आपत्ति:** बॉम्बे बार एसोसिएशन ने छात्रों पर लाठीचार्ज एवं आंसू गैस के उपयोग की रिपोर्टों की भी निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति व्यक्त करना लोकतंत्र का एक अनिवार्य तत्व है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **निषेधात्मक आदेश (Prohibitory Orders):** ऐसे आधिकारिक प्रशासनिक आदेश, जो वैधानिक पुलिस शक्तियों (जैसे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 अथवा संबंधित पुलिस अधिनियमों) के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु एक निश्चित संख्या से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाते हैं।
- **शांतिपूर्ण सभा का अधिकार (Right to Peaceful Assembly):** एक मौलिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, विचार-विमर्श कर सकते हैं तथा शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं।

कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- **संवैधानिक स्वतंत्रताएँ:** अनुच्छेद 19(1)(क) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 19(1)(ख) उन्हें शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार देता है। हालांकि अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत भारत की संप्रभुता एवं अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित में युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- **वैधानिक सीमाएँ:** लागू पुलिस कानूनों के अनुसार, सामान्य वैधानिक समय-सीमा (जैसे 15 दिन) से अधिक अवधि तक निषेधात्मक आदेश लागू रखने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार की स्पष्ट स्वीकृति आवश्यक होती है, ताकि कार्यपालिका द्वारा मनमाने अधिकार-प्रयोग को रोका जा सके।

निष्कर्ष

वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा निषेधात्मक आदेशों का विरोध इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सार्वजनिक सभाओं पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को वैधानिक समय-सीमा, आवश्यकता तथा आनुपातिकता (Proportionality) के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करना चाहिए।

UPSC में प्रासंगिकता

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II के अंतर्गत भारतीय संविधान—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं मूल संरचना; मौलिक अधिकार तथा सुशासन (Governance) के अंतर्गत नागरिक समाज की भूमिका, राज्य के अंग तथा लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

6. राजस्थान में सामुदायिक संपर्क समूहों (CLGs) में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने संबंधी संशोधन

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **नीतिगत संशोधन:** राजस्थान सरकार ने 19 जुलाई की अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान पुलिस नियम, 2008 में संशोधन करते हुए उस स्पष्ट प्रावधान को हटा दिया है, जिसके अनुसार राजनीतिक दलों अथवा उनके संबद्ध संगठनों के सदस्यों को सामुदायिक संपर्क समूह (Community Liaison Groups - CLGs) का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया गया था।
- **राज्यव्यापी व्यापक नेटवर्क:** सरकारी आँकड़ों के अनुसार राज्य में 75,265 सक्रिय CLG सदस्य हैं, जो अजमेर, उदयपुर, बीकानेर सहित विभिन्न पुलिस रेंजों में कार्यरत हैं तथा नागरिकों एवं पुलिस के बीच सेतु का कार्य करते हैं।
- **मुख्य कार्य:** CLGs पुलिस को खुफिया सूचनाएँ एकत्र करने, अपराधियों पर निगरानी रखने, अपराध की रोकथाम, सामाजिक अशांति को कम करने तथा पंचायत, बीट एवं वार्ड स्तर पर पुलिस एवं समुदाय के बीच विश्वास बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं।
- **अयोग्यता के मानदंड:** राजनीतिक संबद्धता पर प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद अन्य कठोर पात्रता नियम यथावत लागू रहेंगे। न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति, जिनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, संदिग्ध आपराधिक संबंध रखने वाले अथवा संपत्ति विवादों में शामिल व्यक्ति CLG सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे।
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण पर बहस:** इस निर्णय की विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाते हुए आलोचना की कि इससे संस्थागत ढाँचे का राजनीतिकरण हो सकता है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि इससे जमीनी स्तर के सामुदायिक नेतृत्व को स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था में अधिक प्रभावी रूप से शामिल किया जा सकेगा।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **सामुदायिक संपर्क समूह (Community Liaison Group - CLG):** स्थानीय नागरिकों, सामुदायिक प्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों का एक संस्थागत स्वैच्छिक मंच, जिसका उद्देश्य पुलिस को खुफिया सूचना उपलब्ध कराना, जनविश्वास बढ़ाना तथा स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देना है।
- **पुलिसिंग गवर्नेंस (Policing Governance):** वह प्रशासनिक व्यवस्था जिसके माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ सामुदायिक भागीदारी के सहयोग से सार्वजनिक सुरक्षा, कानून का पालन तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखती हैं।

कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- **वैधानिक पुलिस शक्तियाँ:** CLGs का संचालन राज्य-विशिष्ट पुलिस अधिनियमों एवं नियमों (जैसे राजस्थान पुलिस नियम, 2008) के अंतर्गत किया जाता है। पुलिस प्रशासन भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) का विषय है।
- **संवैधानिक सिद्धांत:** यह व्यवस्था अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के व्यापक सिद्धांतों तथा सहभागितापूर्ण एवं सहयोगात्मक सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप मानी जाती है।

निष्कर्ष

राजस्थान के सामुदायिक संपर्क समूहों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने का निर्णय जमीनी स्तर पर व्यापक भागीदारी बढ़ाने और संस्थागत निष्पक्षता बनाए रखने—दोनों के बीच संतुलन की चुनौती प्रस्तुत करता है। कठोर चरित्र सत्यापन, पारदर्शिता तथा निष्पक्ष चयन प्रक्रिया ही यह सुनिश्चित करेगी कि CLGs प्रभावी जनसुरक्षा सहयोगी बने रहें और राजनीतिक प्रभाव के उपकरण में परिवर्तित न हों।

UPSC में प्रासंगिकता

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II के अंतर्गत सरकारी नीतियाँ एवं विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु हस्तक्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे तथा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा, संचार नेटवर्क के माध्यम से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियाँ, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा के मूल तत्व तथा सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन से संबंधित दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

7. प्रोजेक्ट कुशा दीर्घ दूरी सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल (LR-SAM) प्रणाली का DRDO द्वारा उड़ान परीक्षण

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **प्रथम उड़ान परीक्षण की सफलता:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा (Kusha) दीर्घ दूरी सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल (Long-Range Surface-to-Air Missile - LR-SAM) प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा तट के निकट स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से किया।
- **लक्ष्य का सफल अवरोधन:** परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के विरुद्ध किया गया, जिसने उच्च गति एवं उच्च ऊँचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण किया। मिसाइल प्रणाली ने 400 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक अवरोधित (Intercept) किया।
- **स्वदेशी रक्षा क्षमता का विकास:** प्रोजेक्ट कुशा का उद्देश्य एक स्वदेशी दीर्घ दूरी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है, जो लड़ाकू विमान, मिसाइल, मानव रहित हवाई वाहन (UAVs) तथा बड़े शत्रु विमानों सहित विभिन्न हवाई खतरों से सामरिक सैन्य एवं नागरिक अवसंरचना की रक्षा कर सके।

- **आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा:** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे रूस की S-400 जैसी उन्नत उच्च-ऊँचाई वायु रक्षा प्रणालियों के आयात पर भारत की निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- **घटकों का समन्वित विकास:** इस हथियार प्रणाली के सभी प्रमुख घटक, जैसे मिसाइलें, उन्नत रडार तथा कमांड एवं नियंत्रण केंद्र, DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं घरेलू औद्योगिक साझेदारों के सहयोग से विकसित किए गए हैं।
- **मिशन सुदर्शन चक्र से एकीकरण:** प्रोजेक्ट कुशा तथा एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (Integrated Air Defence Weapon System - IADWS) अगले दशक में मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत देशव्यापी बहु-स्तरीय स्वदेशी सुरक्षा कवच के निर्माण के प्रमुख आधार स्तंभ होंगे।



DRDO conducted the maiden flight test of Long-Range SAM 'Kusha' from the APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha. PM

आवश्यक परिभाषाएँ

- **सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल (Surface-to-Air Missile - SAM):** ऐसी मिसाइल जिसे भूमि अथवा समुद्र से प्रक्षेपित कर उड़ान भर रहे विमान, ड्रोन अथवा आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है।
- **प्रोजेक्ट कुशा (Project Kusha):** DRDO की एक महत्वाकांक्षी स्वदेशी परियोजना, जिसका उद्देश्य लगभग 400 किलोमीटर तक की दूरी पर विभिन्न उच्च-ऊँचाई वाले हवाई खतरों का पता लगाने एवं उन्हें नष्ट करने में सक्षम बहु-स्तरीय दीर्घ दूरी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है।

कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- **आत्मनिर्भर भारत एवं रक्षा खरीद नीति:** यह परियोजना रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure - DAP) के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण, तकनीकी आत्मनिर्भरता तथा सामरिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देने वाली राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप है।
- **संवैधानिक दायित्व:** यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अनुरूप देश की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष

प्रोजेक्ट कुशा के प्रथम सफल उड़ान परीक्षण ने भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली में पूर्ण तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। सामरिक क्षमताओं की घरेलू स्तर पर पूर्ति करते हुए भारत अभेद्य राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष सुरक्षा कवच (Aerospace Shield) के निर्माण के लक्ष्य के और अधिक निकट पहुँच गया है।

UPSC में प्रासंगिकता

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण एवं नई प्रौद्योगिकी का विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ तथा उनके प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा में बाह्य एवं आंतरिक कारकों की भूमिका तथा प्रारंभिक परीक्षा में रक्षा प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रणालियों एवं रक्षा संक्षिप्ताक्षरों (Acronyms) से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

8. विरोध प्रदर्शनों के दौरान विधिसम्मत प्रक्रिया (Due Process) एवं पुलिस द्वारा बल प्रयोग

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन:** राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर-मंतर में पुलिस की कठोर कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। सरकारी आश्वासनों के बावजूद प्रदर्शनकारियों में असंतोष बना हुआ है।
- न्यायिक टिप्पणी पर विवाद:** भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा पुलिस की कथित ज्यादतियों के विरुद्ध हस्तक्षेप की मांग करने वाले अधिवक्ता से मौखिक रूप से "हमारा समय बर्बाद मत कीजिए" कहे जाने की टिप्पणी ने नागरिकों एवं न्यायपालिका के बीच कथित दूरी को लेकर बहस को जन्म दिया।
- अत्यधिक पुलिस बल प्रयोग:** दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पैलेट गन, लाठीचार्ज तथा आँसू गैस के गोले सहित अत्यधिक एवं असंगत (Disproportionate) बल प्रयोग किए जाने की रिपोर्टें सामने आईं।
- निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन:** पुलिस की कार्रवाई पर यह चिंता व्यक्त की गई कि उसने भीड़ को तितर-बितर करने संबंधी दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेशों (Standing Orders) तथा सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों में निर्धारित प्रक्रियाओं का समुचित पालन नहीं किया।
- न्यूनतम हस्तक्षेप का सिद्धांत:** संपादकीय टिप्पणियों में इस बात पर बल दिया गया कि न्यायालय द्वारा प्रतिपादित "न्यूनतम हस्तक्षेप (Least Invasiveness)" के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। उदाहरण के लिए, पैलेट गन जैसे अधिक हानिकारक उपाय अपनाने से पूर्व जल तोप (Water Cannon) जैसे कम नुकसानदेह उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए था।
- न्यायिक हस्तक्षेप:** मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस की कथित ज्यादतियों से संबंधित दो जनहित याचिकाओं (PILs) पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की तथा स्पष्ट किया कि विधिसम्मत प्रक्रिया (Due Process) का पालन सर्वोपरि है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- विधिसम्मत प्रक्रिया (Due Process of Law):** एक संवैधानिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करते समय उसके सभी विधिक अधिकारों का सम्मान करे तथा राज्य की शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखे।
- न्यूनतम हस्तक्षेप (Least Invasiveness):** पुलिस एवं विधि का वह सिद्धांत जिसके अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भीड़ नियंत्रण अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल उतने ही प्रतिबंधात्मक अथवा कम से कम हानिकारक उपाय अपनाने चाहिए, जितने आवश्यक हों।

कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- मौलिक स्वतंत्रताएँ:** यह विषय अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(1)(ख) के अंतर्गत शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार के एकत्र होने के अधिकार से संबंधित है। इन अधिकारों पर अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

- **वैधानिक एवं न्यायिक दिशा-निर्देश:** पुलिस की कार्रवाई दिल्ली पुलिस स्थायी आदेश संख्या 309 एवं 152 तथा रामलीला मैदान प्रकरण (2012) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अधीन है, जिसमें सार्वजनिक प्रदर्शनों से निपटने के दौरान संयम, आनुपातिकता तथा विधिसम्मत प्रक्रिया के पालन को अनिवार्य बताया गया है।

निष्कर्ष

युवा प्रदर्शनकारियों, पुलिस कार्रवाई तथा न्यायिक टिप्पणियों के बीच उत्पन्न तनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधिसम्मत प्रक्रिया (Due Process) के महत्व को पुनः रेखांकित करता है। राज्य की एजेंसियों को अत्यधिक संयम एवं आनुपातिकता का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधिक प्रावधानों का उपयोग शांतिपूर्ण असहमति को दबाने के साधन के रूप में न किया जाए।

UPSC में प्रासंगिकता

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II के अंतर्गत भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका एवं वैधानिक संस्थाएँ तथा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था का संरक्षण तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस बलों की भूमिका से संबंधित दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

9. हरियाली का उत्सव और उत्तराखंड में वन भूमि विचलन: 'ब्लैक हरेला' आंदोलन

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **'ब्लैक हरेला' विरोध प्रदर्शन:** उत्तराखंड के पारंपरिक हरित पर्व हरेला के अवसर पर नागरिकों एवं युवाओं ने "ब्लैक हरेला" अभियान चलाकर राष्ट्रीय राजमार्गों एवं संपर्क मार्गों के चौड़ीकरण हेतु लगभग 4,000 परिपक्व वृक्षों की प्रस्तावित कटाई का विरोध किया।
- **वन भूमि का व्यापक विचलन:** सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद से अब तक 46,203 हेक्टेयर वन भूमि को विभिन्न आधारभूत संरचना एवं विकास परियोजनाओं के लिए गैर-वानिकी उद्देश्यों हेतु परिवर्तित किया गया है।
- **दून घाटी की पारिस्थितिक संवेदनशीलता:** प्रस्तावित वृक्ष कटाई से शिवालिक हाथी रिजर्व एवं महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों (Wildlife Corridors) जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इससे भूस्खलन के जोखिम तथा हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिक नाजुकता और बढ़ सकती है।
- **राजधानी क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव:** उत्तराखंड में वन भूमि विचलन का लगभग 21,618 हेक्टेयर, अर्थात् लगभग 47%, अकेले देहरादून जिले में हुआ है। इसमें भानियावाला-ऋषिकेश राजमार्ग जैसी आधारभूत परियोजनाएँ प्रमुख हैं।

- **नीतिगत विरोधाभास:** पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा संचालित "एक पेड़ माँ के नाम" जैसे वृक्षारोपण अभियानों तथा दूसरी ओर सदियों पुराने एवं अपूरणीय वन वृक्षों की बड़े पैमाने पर व्यावसायिक कटाई के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर चिंता व्यक्त की है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **हरेला:** उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक पर्व, जो वर्षा ऋतु एवं बुवाई के मौसम के आगमन का प्रतीक है। यह प्रकृति, नवजीवन, समृद्धि तथा पर्यावरणीय संतुलन के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाता है।
- **वन भूमि विचलन (Forest Land Diversion):** अधिसूचित वन भूमि का सड़क निर्माण, खनन, जलविद्युत परियोजनाओं, औद्योगिक विस्तार अथवा अन्य गैर-वानिकी कार्यों के लिए विधिक अथवा प्रशासनिक रूप से पुनः आवंटन किया जाना।



कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980:** इस अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि को गैर-वानिकी कार्यों में उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति तथा प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) अनिवार्य है।
- **संवैधानिक संरक्षण:** अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों की रक्षा तथा सुधार करने का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 51A(ग) प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह वन, झील, नदी एवं वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करे।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में तीव्र आधारभूत संरचना विकास एवं व्यापक पारिस्थितिक क्षरण के बीच बढ़ता टकराव हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास आधारित योजना निर्माण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। आर्थिक संपर्क एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना जलवायु एवं भू-वैज्ञानिक आपदाओं की रोकथाम के लिए अत्यंत आवश्यक है।

UPSC में प्रासंगिकता

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III के अंतर्गत संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) तथा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I के अंतर्गत महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल निकायों, हिमावरण (Ice Caps) तथा वनस्पति एवं जीव-जंतुओं में होने वाले परिवर्तन से संबंधित विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

10. अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौता और पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर:** संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने एक विवादास्पद नागरिक परमाणु सहयोग समझौते (Section 123 Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे सऊदी अरब अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कर सकता है।
- **यूरेनियम संवर्धन को लेकर चिंता:** यह समझौता सऊदी अरब को अपनी भूमि पर यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) की अनुमति दे सकता है। यद्यपि इसका उद्देश्य मुख्यतः परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है, किंतु इसके द्वि-उपयोग (Dual-Use) की संभावना के कारण परमाणु प्रसार तथा क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ की आशंका बढ़ गई है।
- **अब्राहम समझौतों से संबंध:** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यह समझौता सऊदी अरब के अब्राहम समझौतों (Abraham Accords) में शामिल होने तथा इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, बशर्ते क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितियाँ अनुकूल हों।
- **अमेरिकी कांग्रेस की स्वीकृति की चुनौती:** इस समझौते को प्रभावी होने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक है। इज़राइल के प्रति व्यापक द्विदलीय समर्थन के कारण कांग्रेस में इस समझौते की कड़ी समीक्षा एवं संभावित विरोध की संभावना है।
- **भूराजनैतिक संतुलन पर प्रभाव:** विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता ईरान को और अधिक आक्रामक बना सकता है, सऊदी अरब को चीन एवं रूस के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है तथा पश्चिम एशिया के सामरिक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **नागरिक परमाणु सहयोग समझौता (Section 123 Agreement):** अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 (US Atomic Energy Act, 1954) की धारा 123 के अंतर्गत आवश्यक द्विपक्षीय समझौता, जो अमेरिका और उसके साझेदार देशों के बीच शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अप्रसार (Non-Proliferation) संबंधी सुरक्षा उपायों को नियंत्रित करता है।
- **परमाणु प्रसार (Nuclear Proliferation):** परमाणु हथियार, विखंडनीय (Fissionable) सामग्री तथा परमाणु हथियार निर्माण संबंधी प्रौद्योगिकी एवं जानकारी का उन देशों तक प्रसार, जिन्हें परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के अंतर्गत परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- **अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 (धारा 123):** यह अधिनियम अमेरिका द्वारा किसी अन्य देश को परमाणु सामग्री अथवा उपकरण हस्तांतरित करने से पूर्व कठोर अप्रसार मानकों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की व्यवस्था तथा कांग्रेस की निगरानी को अनिवार्य बनाता है।
- **अंतरराष्ट्रीय अप्रसार मानक:** ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों, द्विपक्षीय निरीक्षण व्यवस्थाओं तथा वैश्विक संधियों द्वारा संचालित होते हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण नागरिक ऊर्जा उत्पादन तक ही सीमित रहे।

निष्कर्ष

अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौता पश्चिम एशिया की सामरिक संरचना को पुनर्परिभाषित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक कदम है। यद्यपि यह ऊर्जा विविधीकरण एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, परंतु इसके साथ परमाणु प्रसार के गंभीर जोखिम भी जुड़े हैं। इसलिए कठोर अंतरराष्ट्रीय निगरानी तथा प्रभावी विधायी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC में प्रासंगिकता

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II के अंतर्गत भारत से संबंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह एवं समझौते तथा विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों एवं राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव तथा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III के अंतर्गत सुरक्षा चुनौतियाँ, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं परमाणु प्रसार संबंधी मुद्दों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

11. पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन का नौसेना में शामिल होना एवं तटीय सुरक्षा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- भारतीय नौसेना में शामिल:** भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में INS मालवन को नौसेना में शामिल किया। यह माही श्रेणी (Mahe-class) की पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft - ASW-SWC) श्रृंखला का दूसरा पोत है।
- जहाज निर्माण में सहयोग:** कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), कोच्चि द्वारा निर्मित INS मालवन, कुल 16 युद्धपोतों की प्रस्तावित श्रृंखला का हिस्सा है, जिनका निर्माण CSL एवं गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा किया जा रहा है। इनका उद्देश्य पुराने अभय श्रेणी (Abhay-class) के कार्वेट युद्धपोतों का स्थान लेना है।
- प्रतीक चिह्न (क्रेस्ट) का महत्व:** इस युद्धपोत के प्रतीक चिह्न में 'बाघ नख' (Bagh Nakha) को दर्शाया गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा ऐतिहासिक हथियार है तथा साहस, तीव्रता, गोपनीयता एवं त्वरित आक्रमण क्षमता का प्रतीक माना जाता है।
- उथले जल में विशेष संचालन क्षमता:** यह पोत विशेष रूप से तटीय (Littoral) क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कम ड्राफ्ट (Low Draught), उन्नत सोनार प्रणाली तथा उच्च गतिशीलता (High Maneuverability) जैसी विशेषताएँ हैं, जो उथले समुद्री क्षेत्रों में छिपी हुई डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का पता लगाने एवं उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम बनाती हैं।
- बहुउद्देश्यीय उपयोगिता:** पनडुब्बी रोधी युद्ध के अतिरिक्त यह पोत जलमग्न निगरानी (Underwater Surveillance), खोज एवं बचाव (Search and Rescue), कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों तथा समुद्री सुरंग (Mine) बिछाने जैसे कार्यों के लिए भी सुसज्जित है।
- ब्लू-वॉटर नौसैनिक क्षमता को बढ़ावा:** भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर समर्पित पनडुब्बी रोधी सुरक्षा कवच विकसित होने से बड़े युद्धपोतों को हिंद महासागर क्षेत्र में ब्लू-वॉटर (Blue Water) सामरिक अभियानों एवं शक्ति प्रदर्शन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft - ASW-SWC):** ऐसे विशेष हल्के युद्धपोत जो उथले तटीय समुद्री क्षेत्रों में संचालित होकर शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने तथा उन्हें नष्ट करने एवं सामरिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकसित किए जाते हैं।
- **तटीय क्षेत्र (Littoral Zone):** समुद्र तट के समीप स्थित वह क्षेत्र जहाँ स्थल एवं समुद्र का मिलन होता है तथा जो तटीय देशों के लिए सामरिक, आर्थिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता:** भारत की रक्षा संबंधी जिम्मेदारियाँ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची-I) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
- **समुद्री कानून का अनुपालन:** यह व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS), 1982 के अनुरूप है, जो भारत के प्रादेशिक जल, संलग्न क्षेत्र (Contiguous Zone) तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone - EEZ) पर उसके संप्रभु अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है।

निष्कर्ष

INS मालवन का नौसेना में शामिल होना भारत की तटीय सुरक्षा व्यवस्था को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करता है तथा उथले समुद्री क्षेत्रों में निगरानी संबंधी महत्वपूर्ण कमियों को दूर करता है। स्वदेशी पनडुब्बी रोधी क्षमता में वृद्धि से समुद्री व्यापार की निर्बाध सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा जलमग्न असममित खतरों के विरुद्ध भारत की समुद्री सीमाएँ अधिक सुरक्षित होंगी।

UPSC में प्रासंगिकता

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन तथा आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा में सुरक्षा बलों की भूमिका तथा प्रारंभिक परीक्षा में नौसैनिक रक्षा प्रणालियों एवं युद्धपोतों की श्रेणियों से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

12. फास्ट-ट्रैक न्यायालय: स्थापना, प्रदर्शन एवं संवैधानिक दायरा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता:** प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं से निपटने हेतु फास्ट-ट्रैक न्यायालयों (Fast-Track Courts - FTCs) की स्थापना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए हालिया जोर ने इन न्यायालयों की प्रभावशीलता पर पुनः राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।
- **केंद्रीय कानून का अभाव:** फास्ट-ट्रैक न्यायालयों के गठन को नियंत्रित करने वाला कोई एकल केंद्रीय कानून नहीं है। इनकी स्थापना ऐतिहासिक रूप से विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के आधार पर की जाती रही है।

- **वित्तपोषण एवं विशेष प्राथमिकता:** वर्ष 2019 के आपराधिक कानून संशोधन तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार ने निर्भया निधि (Nirbhaya Fund) से आंशिक वित्तपोषण वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य बलात्कार एवं POCSO अधिनियम से संबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण करना है।
- **प्रदर्शन संबंधी आँकड़े:** जनवरी तक देशभर के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 862 नियमित फास्ट-ट्रैक न्यायालय (FTCs) तथा 774 फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSCs) कार्यरत थे, जिनमें 398 विशेष POCSO न्यायालय शामिल हैं। इन न्यायालयों में विशेष मामलों के निस्तारण की दर लगभग 96% रही है।
- **स्थायी चुनौतियाँ:** उच्च निस्तारण दर के बावजूद वर्ष 2023 के अंत तक फास्ट-ट्रैक न्यायालयों में 2.4 लाख से अधिक मामले लंबित थे। इसके प्रमुख कारण अपर्याप्त आधारभूत संरचना, जांच में विलंब, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में लंबित कार्य तथा न्यायिक पदों की रिक्तियाँ हैं।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **फास्ट-ट्रैक न्यायालय (Fast-Track Courts - FTCs):** ऐसे विशेष अथवा अस्थायी न्यायालय, जिनकी स्थापना गंभीर अपराधों अथवा विशिष्ट मामलों की शीघ्र सुनवाई एवं नियमित न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से की जाती है।
- **न्यूनतम हस्तक्षेप / तर्कसंगत वर्गीकरण का सिद्धांत (Principle of Least Invasiveness / Rational Classification):** अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विकसित संवैधानिक सिद्धांत, जिसके अनुसार विशेष न्यायालयों की स्थापना मनमाने आधार पर नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ एवं तर्कसंगत वर्गीकरण के आधार पर की जानी चाहिए।

कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचा

- **अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता):** State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar (1952) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विशेष न्यायालय तभी वैध होंगे जब मामलों के वर्गीकरण तथा त्वरित सुनवाई के उद्देश्य के बीच तर्कसंगत संबंध (Rational Nexus) स्थापित हो।
- **वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश:** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS) के अनुसार सामान्यतः मुकदमों का निस्तारण दो वर्ष के भीतर तथा यौन अपराधों से संबंधित मामलों का निस्तारण दो माह के भीतर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं P. Rama Chandra Rao v. State of Karnataka (2002) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायालय सभी आपराधिक मामलों के निस्तारण के लिए कोई कठोर अधिकतम समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकते।

निष्कर्ष

फास्ट-ट्रैक न्यायालय उच्च प्राथमिकता वाले मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करने की एक प्रभावी व्यवस्था अवश्य हैं, किंतु वे न्यायिक प्रणाली की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान नहीं हैं। न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए फॉरेंसिक अवसंरचना, जांच की गुणवत्ता तथा न्यायिक रिक्तियों जैसी मूलभूत चुनौतियों का समाधान करना समान रूप से आवश्यक है।

UPSC में प्रासंगिकता

JULY 24, 2026

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II के अंतर्गत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की संरचना, संगठन एवं कार्यप्रणाली, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ तथा विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य एवं उत्तरदायित्व से संबंधित दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

